पत्र सं0-विधि-4 (1) परिपत्र पत्रावली भाग-3/2014-15/ 1693/1415129 — 16-3-2015 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर

(विधिअनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :दिनांक :: 10/03/2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील), वाणिज्य कर,

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

दिनांक 01.08.2014 से कर निर्धारण की प्रक्रिया आन लाइन कर दी गयी है । विभाग में अपीलीय अभिलेखों के रखरखाव एवं अपीलीय कार्य को सुविधाजनक तथा कार्य कुशल बनाने हेतु अपील माड्यूल का निर्माण किया गया है । यह माड्यूल विभागीय व्यास सर्वर पर उपलब्ध है, जिसका address http/10.220.5.244/vyasappeal है, जिसके लिए निम्न प्रकार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(क) **Central Operator Login**

अपील माड्यूल में सेन्ट्रल आपरेटर एवं मुन्सरिम के दो Login हैं । सेन्ट्रल आपरेटर द्वारा समस्त अपील संबंधी आवेदनों की entry करके पावती रसीद जनरेट की जायेगी जिसके पश्चात मुन्सरिम के द्वारा इस प्रकार प्राप्त आवेदनों में अग्रिम कार्यवाही साफ्टवेयर में ही सम्पादित की जायेगी।

- सेन्ट्रल आपरेटर के द्वारा सर्वप्रथम ब्यास सेन्ट्रल साफ्टवेयर पर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से यूजर Create कराया जायेगा। यूजर Create करने पर पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर SMS हो जायेगा।
- ब्यास सेन्ट्रल पर Login करने पर उपलब्ध Menu Option में Appeal के Link पर Click करने पर Appeal Module से सम्बन्धित विकल्प उपलब्ध हो जायेगा।
- New appeal पर Click करने पर Blank फार्म खुलता है, जिसमें उपलब्ध विभिन्न Entry Field में प्रविष्टियॉ की जानी है। ऐसे कर निर्धारण आदेश, जो online किये गये हैं यदि उनके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है तो उस आदेश का R-5B के नम्बर की प्रविष्टियॉ करते ही स्वत: कार्यालय आदेश की तिथि, व्यापारी का नाम, टिन नम्बर आदि प्रविष्टियॉ अंकित हो जायेंगी।
- ऐसे आदेश जो online नहीं किये गये हैं तथा इस प्रणाली के लागू होने के पूर्व के हैं, उनके विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलकर्ता का नाम, पता, टिन नम्बर, आदेश की तिथि एवं अन्य आदि प्रविष्टियॉ की जायेंगी।
- इसके अतिरिक्त अपील का चालान संख्या, दिनांक, स्टैम्प फी, अधिवक्ता का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, अपील मेमो के साथ संलग्न विभिन्न प्रार्थनापत्र आदि की प्रविष्टि का भी option (विकल्प) रखा गया है। समस्त प्रविष्टि करने के उपरान्त Submit करने पर यदि समस्त प्रविष्टियॉ सही की गयी हैं, तो Final Submit का option आयेगा, जिस पर Click करने पर अपील प्रस्तुत किये जाने के बाद syaha के क्रमांक सहित रसीद generate होगी जिसे अपीलकर्ता को प्राप्त कराया जायेगा । इससे सम्बन्धित syaha रजिस्टर उपलब्ध रहेगा। यदि Module में कोई Mandatory Field की प्रविष्टि किये जाने से रह जाती है तो Submit के option पर Click करने के उपरान्त Final Submit

mh